

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या: 22/2017-सा-3-369/दस-2017-308/2016
लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2017
शुद्धि-पत्र

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के अनन्तर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के दिनांक 01-01-2016 से पेंशन पुनरीक्षण/समेकन संबंधी कार्यालय ज्ञाप संख्या-38/37/2016- पी0 एण्ड पी0 डब्ल्यू(ए), दिनांक 12 मई, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को देय पेंशन / पारिवारिक पेंशन को देय पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 16/2017-सा-3-जी0आई-12/दस-2017-308/2016, दिनांक 30 जून, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप का प्रस्तर-4 विलोपित समझा जाये।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या: 22/2017/सा-3-369(1)/दस-2017-308/2016, तद्विनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- विशेष सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, 30प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 4- निदेशक, पेंशन निदेशालय, 8वें तल, इन्दिरा भवन, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- 30प्र0 के समस्त जनपदों के मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी।
- 6- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।